# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

वर्धा (महाराष्ट्र)

# कार्यवृत्त

## विद्या-परिषद् की विशेष बैठक

11 सितम्बर, 2009

अपराह्न 3:00

प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

ज्ञान शांति मैत्री

# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

वर्धा (महाराष्ट्र)

## *विद्या–परिषद् की विशेष बैठक*

***प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा***

***11 सितम्बर, 2009 अपराह्न 3:00 बजे***

## *अनुक्रमणिका*

विश्वविद्यालय द्वारा आपात स्थिति में निर्णय लेने हेतु आयोजित विद्या–परिषद् की विशेष बैठक में प्रस्तुत विषय


| मद सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन। | *001-002* |
| 2 | मॉरीशस के राष्ट्रपति – सर अनिरूद्ध जगनाथ को मानद डी. लिट् उपाधि। | *002 -003* |


* * * * *

# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

## विद्या-परिषद् की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा आपात स्थिति में निर्णय लेने हेतु आयोजित विद्या-परिषद् की **विशेष बैठक** कुलपति की अध्यक्षता में 11 सितम्बर, 2009 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री विभूति नारायण राय | : | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. नदीम हसनैन | : | प्रतिकुलपति एवं सदस्य |
| 3. | प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव | : | सदस्य |
| 4. | प्रो. उमाशंकर उपाध्याय | : | सदस्य |
| 5. | प्रो. मनोज कुमार | : | सदस्य |
| 6. | प्रो. लेला कारूण्यकरा | : | सदस्य |
| 7. | प्रो. महेन्द्र कुमार सी. पाण्डेय | : | सदस्य |
| 8. | प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल | : | सदस्य |
| 9. | प्रो. अनिल कुमार राय | : | सदस्य |
| 10. | डॉ. अनिल चमड़िया | : | सदस्य |
| 11. | डॉ. सी. अन्नपूर्णा | : | सदस्य |
| 12. | डॉ. रामानुज अस्थाना | : | सदस्य |
| 13. | डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय | : | सदस्य |
| 14. | डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकि | : | सदस्य |
| 15. | श्री राकेश मिश्र | : | सदस्य |
| 16. | श्री आनंद मंडित मलयज | : | सदस्य |
| 17. | श्री मिथिलेश कुमार | : | सदस्य |
| 18. | डॉ. रामानुज अस्थाना | : | सदस्य |
| 19. | सुश्री सुप्रिया पाठक | : | विशेष आमंत्रित |
| 20. | डॉ. कैलाश खामरे | : | कुलसचिव एवं पदेन सचिव |

अन्य सदस्य - प्रो. अली अहमद फातमी, प्रो. तुलसी राम, प्रो. सुधीर चंद्रा, प्रो. ए. अरविंदाक्षन, डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी, डॉ. संतोष कुमार भदौरिया तथा सुश्री थोकचोम कमला देवी विविध कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष से बैठक की कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची के अन्तर्गत प्रस्तावित मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

## मद संख्या 1

### दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन

विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम–30 के प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह के आयोजन के संदर्भ में उल्लिखित विवरण इस प्रकार है :

*Convocations of the University for the conferring of degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the Ordinances.*

उक्त परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के अध्यादेश 6(3) का उद्धरण इस प्रकार है :

*The Vice-Chancellor may invite a distinguished person to deliver the Convocation address at the convocations at Wardha.*

□ उपर्युक्त अधिनियम एवं अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा **9 दिसम्बर 2009** को वर्धा परिसर में **दूसरा दीक्षांत समारोह** किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मॉरीशस के राष्ट्रपति – **सर अनिरूद्ध जगनाथ** को तथा **प्रो. सुखदेव थोरात**, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

विद्या–परिषद् कृपया इसका अनुमोदन करे।

**विद्या–परिषद् ने इसका अनुमोदन किया।**

## मद संख्या 2

### मॉरीशस के राष्ट्रपति – सर अनिरूद्ध जगनाथ को मानद डी. लिट् उपाधि

विश्वविद्यालयों में विशिष्ट योगदान रखने वाले साहित्यकारों तथा विद्वानों को मानद डी.-लिट् की उपाधि देने की परंपरा रही है। विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम–27 का उद्धरण इस प्रकार है :

27(1) *The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, make proposals to the Visitor for the conferment of honorary degrees :*

*Provided that in case of emergency the Executive Council may on its own motion, make such proposals.*

27(2) *The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw, with the previous sanction of the Visitor, any honorary degree conferred by the University.*

ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् का गठन महामहिम कुलाध्यक्ष के समक्ष लंबित है। अतः विद्या–परिषद् की अनुशंसा के अनुसरण में कार्य–परिषद् द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा 9 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तावित दूसरे दीक्षांत समारोह के आयोजन पर **मॉरीशस के राष्ट्रपति–सर अनिरूद्ध जगनाथ**, जिनका आत्मवृत्त संलग्न है, को **विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.–लिट् की उपाधि** देने का प्रस्ताव विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*अनुलग्नक : सर अनिरूद्ध जगनाथ का आत्मवृत्त (पृष्ठ सं. 3 से 4)*

**विद्या–परिषद् ने इसका अनुमोदन किया।**

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन करने से हुई।

(कैलाश खामरे)
पदेन सचिव : विद्या–परिषद् एवं कुलसचिव
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,
वर्धा (महाराष्ट्र)